

अपर उपायुक्त-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का न्यायालय,
सरायकेला-खरसावॉ।

आदेश फलक

जिला- सरायकेला-खरसावॉ

शिकायत वाद सं- 04042020002

विषय - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के दायर अपील की सुनवाई के संबंध में।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
15/04/20	<p>अभिलेख का संधारण झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड रॉची के NGDRS Portal से दिनांक-04.04.2020 को प्राप्त शिकायत सं-04042020002 के आधार पर किया गया है।</p> <p>उक्त शिकायत में आवेदक लक्ष्मी देवी, पता- 127, बगान पाड़ा, बड़ा गम्हरिया, प्रखण्ड- गम्हरिया, जिला- सरायकेला-खरसावॉ द्वारा राशन कार्ड उपलब्ध कराने के संबंध में शिकायत समर्पित है।</p> <p>अतः उक्त शिकायत पत्र जिला आपूर्ति पदाधिकारी,, सरायकेला-खरसावॉ को हस्तगत कराते हुये निदेशित करें कि शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों के आलोक में नियमानुसार जॉच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए जॉच प्रतिवेदन दिनांक 18-04-20 तक उपलब्ध करायें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 20-04-20 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अपर उपायुक्त-सह- जिला शिकायत निवारण पदा०, सरायकेला-खरसावॉ।</p>	
07/01/21	<p>अभिलेख उपस्थापित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावॉ ने पत्रांक-2148/आ०, दिनांक-31.12.2020 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आधार कार्ड सं-943579504517 से कोई राशन कार्ड निर्गत नहीं है।</p> <p>उक्त से प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता से सम्पर्क स्थापित नहीं किए गये हैं।</p> <p>अतः शिकायतकर्ता से समन्वय स्थापित कर सही पाये जाने पर नियमानुसार नया राशन कार्ड निर्गत करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई कर एक सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन की मांग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावॉ से करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक- 16/01/21 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">अपर उपायुक्त-सह- जिला शिकायत निवारण पदा० सरायकेला-खरसावॉ।</p>	

29.01.21

अभिलेख उपस्थापित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावॉ ने पत्रांक-129/आ०, दिनांक-29.01.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शिकायतकर्ता श्रीमति लक्ष्मी देवी के दूरभाष सं०-9279724223 पर सम्पर्क किया गया। शिकायतकर्ता श्रीमति लक्ष्मी देवी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा राशन कार्ड हेतु ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु शिकायतकर्ता श्रीमति लक्ष्मी देवी को निदेश दिया गया। परंतु शिकायतकर्ता द्वारा अबतक ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है। दोबारा फोन करने पर शिकायतकर्ता फोन नहीं उठा रही है।

उक्त से स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता के ऑनलाइन आवेदन के बाद ही अग्रेतर कार्रवाई संभव है। जो शिकायतकर्ता के द्वारा नहीं किया जा रहा है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापति

अपर उपायुक्त-सह—
जिला शिकायत निवारण पदा०
सरायकेला-खरसावॉ।

अपर उपायुक्त-सह—
जिला शिकायत निवारण पदा०
सरायकेला-खरसावॉ।